सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-773
28/12/2015

मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा की

पटना, 28 दिसम्बर 2015 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सविचालय स्थित संवाद सभाकक्ष में गृह विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कानून का राज कायम करने के लिये सरकार कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करें और इस पर हर हाल में रोक लगायें। अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जायेगा। संगठित अपराध को समूल नष्ट करने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जाय। सरकार इसके लिये संसाधनों की कमी नहीं होने देगी। पुलिस को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जायेगा तथा इसे और प्रभावकारी बनाया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिये नगर निगम वाले सभी शहरों एवं अन्य संवेदनशील स्थलों में प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर सी0सी0टीवी कैमरा लगाया जायेगा ताकि अपराध नियंत्रण में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि पुलिस में नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लायें तथा विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति नियमानुसार पारदर्शी तरीके से जल्द करें। बैठक में पुलिस तथा वर्दीधारी कर्मियों की नियुक्ति के लिये एक अलग पुलिस नियुक्ति कमिशन बनाने का अनुरोध विभाग की ओर से किया गया। मुख्यमंत्री ने इसके लिये प्रस्ताव लाने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस निर्भय होकर काम करे तथा अपराधियों के मंसूबों को चकनाचूर करने के लिये आवश्यक कदम उठाये। उन्होंने दरभंगा की घटना को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करने तथा इससे जुड़े अपराधियों के विरूद्ध तुरंत ठोस कार्रवाई करने का निदेश दिया। ए0टी0एस0 को और अधिक सुदृढ़ बनाने, क्राइम एण्ड क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को लागू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष शाखा को और अधिक सुदृढ़ करें, इसके सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन के लिये प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखें।

मुख्यमंत्री ने महिला पुलिस कर्मियों के लिये आवासन एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी थानों में महिला कर्मियों के लिये शौचालय का निर्माण करायें। उन्होंने यह निर्माण कार्य विकेन्द्रीकृत कराने का सुझाव दिया ताकि कम समय में सभी थानों में महिलाओं के लिये शौचालय का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार थानों में महिला कर्मियों के लिये बैरक निर्माण का कार्य कराया जाय, इसके लिये विभाग आवयश्क उपाय करे।

बैठक में मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि ध्वनि प्रदूषण की प्रतिवेदित संवेदनशील स्थिति के मद्देनजर हूटर एवं अत्यधिक हॉर्न बजाने को नियंत्रित करना आवश्यक है। अतः फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, महामहिम राज्यपाल एवं माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मामले को छोड़कर किसी भी वाहन में हूटर नहीं बजेगा। इसके अतिरिक्त अनावश्यक एवं अत्यधिक हॉर्न बजाने पर भी प्रभावकारी रोकने की व्यवस्था की जाय। उन्होंने कहा कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में तेजी लाई जाय ताकि आश्रितों को लाभ जल्द मिल सके। उन्होंने जेल के आंतरिक मॉनिटरिंग सिस्टम को और अधिक कारगर बनाने की आवश्यकता बताई तथा इसके लिये तकनीकी साधनों का प्रयोग करने का निदेश दिया ताकि जेल के अंदर आने–जाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी हो सके और उनके साथ जाने वाले

सामानों पर भी नजर रखा जा सके। उन्होंने अग्निशमन की समीक्षा करते हुये कहा कि छोटे और संकीर्ण जगहों में भी अग्निशमन का काम सुचारू रूप से चल सके, इसके लिये मोटरसाइकिल मिस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करने पर बल दिया।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के अलावे मुख्य सविच श्री अंजनी कुमार सिंह, प्रधान सचिव गृह श्री आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक श्री पी0के0 ठाकुर, विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

******